भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 340
11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषयः- बाढ़ के कारण फसल को नुकसान

***340. श्री अबू ताहेर खानः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान वर्ष में पश्चिम बंगाल में बाढ़ और भारी वर्षा के कारण फसलों को कितना नुकसान होने का अनुमान है;

(ख) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत किसानों को कितना मुआवजा दिया गया है और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत कितनी राहत प्रदान की गई है; और

(ग) न्यूनतम समर्थन मूल्य और धान की समय से खरीद सुनिश्चित करने और किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“बाढ़ के कारण फसल को नुकसान” के संबंध में दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 340 के भाग (क) से (ग) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) एवं (ख): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, अधिसूचित आपदाओं के संबंध में जमीनी स्तर पर आवश्यक राहत उपाय उपलब्ध कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) में उपलब्ध फंड से प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत उपाय करती हैं। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, एसडीआरएफ के अतिरिक्त, राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, विचार किया जाता है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित मूल्यांकन और एनडीआरएफ से वित्तीय सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन शामिल है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है, न कि हुई/दावों की गई क्षति के मुआवजे के लिए।

किसी भी आपदा के कारण फसल के नुकसान से संबंधित आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2026-27 (दिनांक 02.08.2026 की स्थिति के अनुसार) के दौरान विभिन्न जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण 494 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को एसडीआरएफ के तहत 1326.00 करोड़ रुपये (केंद्र सरकार का हिस्सा 994.50 करोड़ रुपये + राज्य सरकार का हिस्सा 331.50 करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के महालेखाकार द्वारा बताया गया है कि 1 अप्रैल, 2026 को राज्य के एसडीआरएफ खाते में 5321.93 करोड़ रुपये की प्रारंभिक शेष राशि उपलब्ध है।

सरकार ने खरीफ 2016 से उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) शुरू की है ताकि प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के कारण फसल के नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके और किसानों की आय को स्थिर किया जा सके।

यह योजना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। पीएमएफबीवाई के प्रावधानों के तहत, योजना के कार्यान्वयन के लिए जिलों और फसलों को अधिसूचित करना राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। पश्चिम बंगाल सरकार ने खरीफ 2019 से पीएमएफबीवाई/आरडब्ल्यूबीसीआईएस का कार्यान्वयन न करने का निर्णय लिया था। तथापि, राज्य सरकार ने खरीफ 2026 से राज्य में पीएमएफबीवाई को लागू करने का निर्णय लिया है, इसलिए वर्तमान सीजन के लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।

(ग): राज्य सरकार की एजेंसियां और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) केंद्रीय पूल के लिए निर्धारित मानक विनिर्देशों के अनुरूप गेहूं और धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर करती हैं, ताकि किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जा सके और मजबूरी में की जाने वाली बिक्री को रोका जा सके। तथापि, यदि किसानों को खुले बाजार में एमएसपी से बेहतर कीमत मिलती है, तो वे सरकारी खरीद प्रक्रिया से बाहर भी अपनी उपज बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। सरकारी एजेंसियों की उपस्थिति किसानों द्वारा अनाज की मजबूरी में बिक्री को रोकती है। खरीद को सुगम बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं और किसानों को सूचित करने के लिए व्यापक प्रचार किया जाता है।

राज्य खरीद पोर्टलों को अब केंद्रीय खाद्यान्न खरीद पोर्टल (सीएफपीपी) में एकीकृत कर दिया गया है, ताकि केंद्र सरकार द्वारा निगरानी और निर्णय लिए जा सकें। एमएसपी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) पूरे देश में लागू किया गया है। डीबीटी फर्जी किसानों से खरीद को समाप्त करता है, भुगतान में हेराफेरी और दोहराव को कम करता है क्योंकि भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। राज्यों ने बेहतर दक्षता लाने के लिए ऑनलाइन खरीद प्रणाली विकसित की है। पीसीएसएपी (प्रोक्योरमेंट सेंटर स्मार्ट-असेसमेंट प्लेटफॉर्म): एक डेटा-संचालित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भारत भर के अनाज खरीद केंद्रों का प्रमुख मापदंडों पर मूल्यांकन करता है और किसानों के लिए खरीद केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने में सहायता करता है, खरीद करने वाले राज्यों में लागू किया गया है।

सरकार पूरे भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) नामक एक पूर्णतया केंद्र वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य सभी किसानों को कृषि और संबद्ध क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने हेतु आसान और किफायती ऋण उपलब्ध कराना है। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से लिए गए ऋण की अधिकतम सीमा 3.00 लाख रुपये है और प्रभावी ब्याज दर 4% है।

31 मार्च 2026 तक, राज्य में 26,65,570 चालू KCC खाते हैं, जिन पर 13,758 करोड़ रुपये की बकाया राशि है; इससे पता चलता है कि राज्य संस्थागत ऋण पर काफी हद तक निर्भर है। जून 2026 से चल रहे सैचुरेशन कैंपेन के तहत, पश्चिम बंगाल को 7 अगस्त 2026 तक KCC के लिए 15,241 नए आवेदन मिले हैं। इनमें से 14,484 आवेदनों को स्वीकृति दे दी गई है।
